# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
# लखनऊ।

पत्रांक सी-81/ दिनांक 19.09.1996

विषय : यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 द्वारा सिंचाई विभाग के कार्यों का सम्पादन।

## कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1195-स0ख0/96-27-सिं0-3/96 दिनांक 31.03.1996 द्वारा नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकार के निगमों से कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भुगतान आदि की शर्त वही रखी जायेंगी, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा ''राजकीय निर्माण निगम''/''राज्य सेतु निगम'' को सीधे कार्य देने पर रखी जाती है। नाबार्ड से प्राप्त वित्तीय सहायता पर 12 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार को देना होता है। इसलिए इन कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना विशेष महत्व रखता है। शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निगमों द्वारा कार्य लेने की अनिच्छा लिखित रूप से व्यक्त करने पर ही इन कार्यों को ठेके से कराया जाय।

उक्त शासनादेश के क्रियान्वयन में कतिपय भ्रंतियों के कारण निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने में बाधा उपस्थित हो रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय निर्माण निगम को भवन निर्माण के कार्य सीधे देने हेतु मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एम0ओ0यू0) का आलेख न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 275/सा0रा0जी0 सी0-93 दिनांक 22.12.1993 द्वारा विधीक्षित है। इसमें अग्रिम धनराशि, भूमि का कब्जा, कार्य की वास्तविक लागत एवं इसका पुनरीक्षण तथा सेन्टेज चार्जेज इत्यादि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 को निर्माण कार्य देने हेतु इसी एम0ओ0यू0 को आवश्यक मामूली संशोधन के साथ अपनाया जाय।

उक्त एम0ओ0यू0 का संशोधित आलेख संलग्न करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः-

1. यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेलस कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0टी0सी0एल0) को दिये जाने वाले कार्यों के लिए एम0ओ0यू0 के आधार पर कार्यवाही की जाये।
2. शासन स्तर पर दिनांक 06.03.1996 को हुई बैठक की कार्यवृत्त शासन पत्रांक 864-एसी-96-27-सिं0-9-271(1)/एस0वी0/96 दिनांक 18.03.1996 द्वारा जारी किया गया है। इसके प्रस्तर-6 में उल्लिखित है कि राजकीय निर्माण निगम व राजकीय सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न राजकीय विभाग के कार्य करने हेतु दर निर्धारित करने की प्रक्रिया में ''विभागीय एस्टीमेट से साढ़े बारह परसेन्ट (ठेकेदार का लाभ) घटाकर उस पर 15 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज जोड़ा जाता है। विभागीय एस्टीमेट में दरों

की वायबिलिटी के लिए दरों की चेकिंग निगम व विभागीय अधिकारी के द्वारा की जाती है।" यही प्रक्रिया इन कार्यों में भी अपनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभागीय एस्टीमेट में ठेकेदार का लाभ यदि साढ़े बारह प्रतिशत लगाया गया हो तभी साढ़े बारह प्रतिशत घटाया जायेगा अन्यथा वही लाभ घटाया जायेगा, जो एस्टीमेट में लिया गया हो। ठेकेदार का लाभ घटाने के बाद एस्टीमेट की पूर्ण धनराशि पर 15 प्रतिशत सेन्टेज जोड़ा जायेगा। यही कार्य की अनुमानित लागत मानी जायेगी।

3. कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति का पूर्ण दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। कार्य की अनुमानित लागत की पच्चीस प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लि0 को किया जायेगा।

4. यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 द्वारा किये जाने वाले सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 का होगा।

5. एम0ओ0यू0 के प्रस्तर-2 में निर्धारित अवधि में विभाग द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 को निर्माण कार्य की मात्रा व दरें, विशिष्टियाँ, ड्राइंग, निर्माण सामग्री की निर्गत दरें, निर्धारित खपत इत्यादि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

6. नाबार्ड से पोषित परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों के टेन्डर नोटिस की प्रति अनिवार्य रूप से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0 एवं अन्य निगमों को उपलब्ध कराई जाय।

(सतीश चन्द्र मेहरोत्रा)
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

<u>पत्रांक सी-81/तदिनांकः 19.09.1996</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (सिंचाई अनुभाग-3 व 9), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 व स्तर-2, सिंचाई विभाग, उ0प्र0
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग
5. समस्त वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/स्टाफ अधिकारी/वैयक्तिक सहायक, सिंचाई विभाग।

(बहादुर राम)
वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी